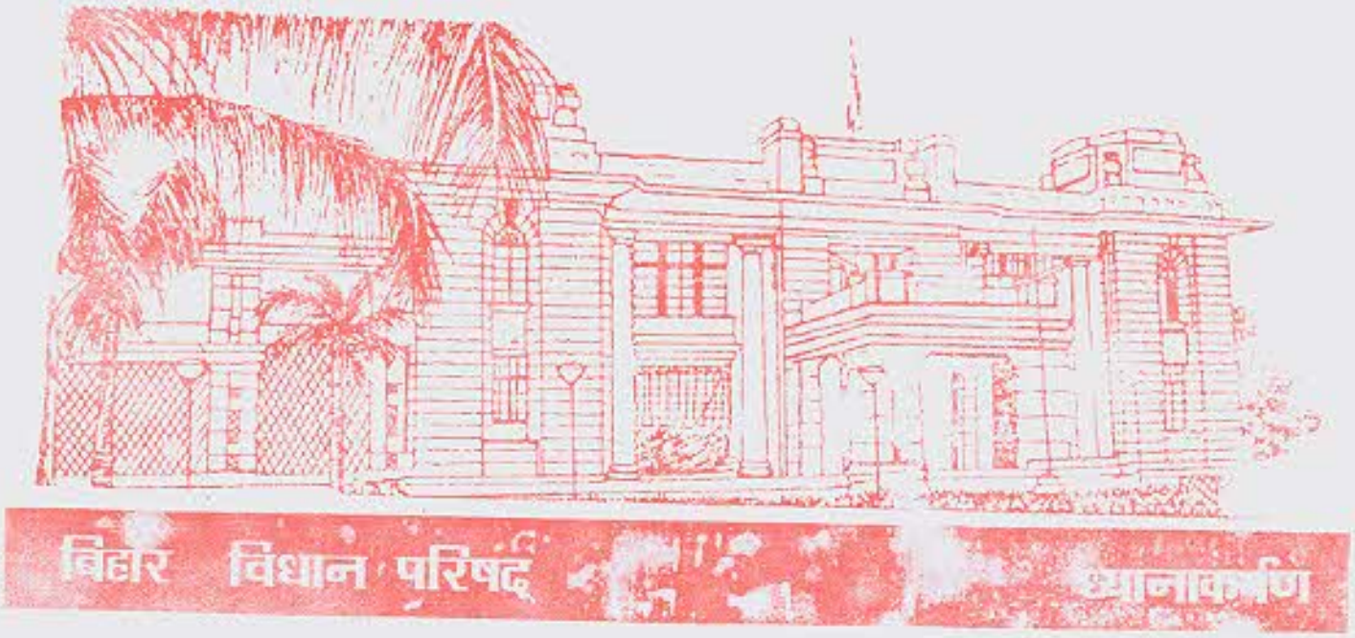

माननीय सभापति महोदय,

मधुबनी जिला अन्तर्गत पंडौल प्रखंड के ग्राम पंचायत राज सरिसब पाही (पूर्वी) के पाहि पालक मुसहरी को विभागीय हठधर्मिता के कारण प्राथमिक विद्यालय पाहि में समायोजित कर दिया गया है। पाहि पालक मुसहरी से प्राथमिक विद्यालय पाहि की दूरी लगभग एक किलोमीटर से अधिक है, जिस कारण महादलित बच्चों की उपस्थिति विद्यालय में शून्य हो गई है। विदित हो कि पाहि पालक मुसहरी के शिक्षा समिति के खाते में विद्यालय भवन निर्माण हेतु पन्द्रह लाख रूपया आवंटन किया गया था, परन्तु शिक्षा समिति की अक्षमता के कारण विद्यालय भवन का निर्माण नहीं हो सका, जबकि अंचल अधिकारी, पंडौल ने अपर समाहर्ता मधुबनी को पत्राचार कर यह अवगत कराया था कि पाहि पालक मुसहरी प्राथमिक विद्यालय के नजदीक 26 डिसमल भूमि उपलब्ध है। सनद हो कि पाहि पालक मुसहरी प्राथमिक विद्यालय 57 के समीप वार्ड नं0-14 और उसके आसपास दो सौ महादलित घर हैं।

अत: विभागीय स्तर से विद्यालय भवन के निर्माण हेतु आवंटित राशि से उपलब्ध 26 डिसमल भूमि पर निर्माण के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह0/- सुमन कुमार,
स.वि.प.

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-158/2018- 695 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक- 23.03.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यहगण/ माननीय मुख्य मंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्यर सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग,बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयन शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्य क कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्यप दिनांक- 28.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्याभन आकृष्टा करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 23.03.18
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

नालंदा जिलान्तगर्त अवर निबंधन कार्यालय, हिलसा के अवर निबंधक के विरूद्ध सहायक निबंधन महानिरीक्षक पटना प्रमंडल,पटना के पत्रांक- 110 दिनांक 19.01.2018 जो महानिरीक्षक, निबंधन,बिहार एवं अनुमंडल पदाधिकारी,हिलसा द्वारा जांचोपरांत पत्रांक- 527 (स्था2.) दिनांक 03.08.2017 के द्वारा कार्रवाई हेतु अनुशंसा किया गया है जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि अवर निबंधक, झंझारपुर के पद पर रहते हुए निबंधन कागजात गुम करने का आरोप लगा है तथा विभागीय कार्रवाई जारी है। इस परिस्थिति में झंझारपुर के पद से हटाकर हिलसा निबंधन कार्यालय में पदस्थापित किया जाना विभागीय पदाधिकारियों की मिलीभगत का स्पष्ट प्रमाण है।

अत: अवर निबंधन, हिलसा के कृत्यों की जांच पुन: विभाग से कराते हुए इनका स्थानांतरण अन्यत्र किये जाने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./-रीना देवी,
स.वि.प.

ज्ञापांक- वि.प.अ.प्र-141/2018 – 672 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक- 20.03.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्य गण/माननीय मुख्य मंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/मुख्य सचिव,बिहार/संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग,बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यिक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्यआ दिनांक-28.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह) 20.03.18
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद् ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

दैनिक हिन्दुस्तान (सुपौल संस्करण) के दिनांक- 18.2.2018 में छपे समाचार "शिक्षकों के वेतन भुगतान में करोड़ों की धांधली" शीर्षक की ओर आकृष्ट करते हुए कहना है कि शिक्षा विभाग के डी.पी.ओ. (स्थापना) सुपौल ने उच्च न्यायालय के फर्जी आदेश के आधार पर, साथ ही शिक्षकों का फर्जी पदस्थापना दिखाकर सैकड़ों शिक्षकों को 15 से 20 लाख रूपये का भुगतान किया है।

अत: उच्च न्यायालय के फर्जी आदेश एवं शिक्षकों के फर्जी पदस्थापन के आधार पर करोड़ों रुपये के सरकारी राशि की अनियमितता करने वाले डी.पी.ओ. (स्थापना) को तत्काल निलंबित करते हुए उन पर विभागीय कार्रवाई करने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- सुबोध कुमार,
स.वि.प.

ज्ञापांक- वि.प.अ.प्र-177/2018 – 719 (1) वि.प.। पटना, दिनांक- 23.03.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्य गण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्या माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्ये सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग,बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य, दिनांक-28.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 23.03.18
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

पटना शहर में दयानंद उच्च विद्यालय, मीठापुर एक गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय है। शिक्षा विभाग के एक्ट के अनुसार प्रत्येक अल्पसंख्यक विद्यालयों का एक अपना निबंधित बायलॉज होता है । इस विद्यालय का भी एक निबंधित बायलॉज है । इस बायलॉज के अनुसार कुल- 11 सदस्य होते हैं । इसमें निदेशक (मा0 शि0) द्वारा नामित तीन सदस्य, दो दानदाता सदस्य, दो अभिभावक प्रतिनिधि, एक शिक्षक प्रतिनिधि एवं एक प्राचार्य सदस्य होते हैं । 1997 से 2002 तक इस बायलॉज द्वारा संचालित विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति में निदेशक द्वारा कोई नामित सदस्य नहीं थे । इस अवधि में 10-12 नियुक्ति हुई । निदेशक, माध्यमिक शिक्षा ने अपने पत्रांक- 536 दिनांक- 09.03.2002 एवं पत्रांक- 1259 दि0- 29.09.2002 द्वारा निदेशक का प्रतिनिधि नहीं रहने के कारण इस अवधि में हुई नियुक्ति को रोकने का आदेश निर्गत किया, परंतु विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति ने उस पत्र की परवाह नहीं करते हुए लगातार नियुक्ति जारी रखा । इस प्रबंधकारिणी समिति में सचिव बृजनंदन सहाय यादव अध्यक्ष राम बाबू यादव एवं अन्य नौ सदस्य थे । श्री बृजनंदन सहाय यादव ने इस नियुक्ति में अपने परिवार के ही लोगों को नियुक्त किया जो घोर अनियमितता है।

अत: उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में उक्त विद्यालय में अवैध नियुक्तियों की जांच कर अवैध रूप से नियुक्त शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति रद्द करते हुए सरकारी कोष की अवैध निकासी को वापस करने के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ ।

ह0/- सूरजनंदन प्रसाद
स.वि.प.

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-171/2018- 706 / वि.प.। पटना, दिनांक- 23.03.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्य मंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग,बिहार / प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यपक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 28.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए ।

(नवल किशोर सिंह) 23.03.18
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

राज्य के विभिन्न, क्षेत्रों से सैकड़ों छात्र-छात्राएं प्रतिदिन अपने प्रमाण पत्र में सुधार के लिए राजधानी स्थित इंटरमीडिएट काउंसिल पहुंचते हैं। दूरदराज से आने वाले तो अहले सुबह ही पहुंच जाते हैं। काउंसिल का मुख्य गेट खुलने के घंटों पहले से ही छात्र लाईन लगाने लगते हैं। ताकि कार्यालय बंद होने तक उनका काम हो जाए लेकिन कार्यालय बंद होने तक अधिकतर बच्चों का काम नहीं होता है। साधारण सुधार करवाने में महिनों लग जाते हैं। इंटर काउंसिल में फिलहाल अधिकतर मामले नाम के अक्षरों में साधारण त्रुटि के आ रहे हैं। ऐसी गलतियों के सुधार में तीन से चार दिन पर्याप्त है। लेकिन चार महीनों बाद भी काम नहीं हो पा रहा है। कागज उपलब्धता के नाम पर लड़के-लड़कियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। समाचार पत्रों के द्वारा सरकार को समस्या के संबंध में सूचनाएं प्रकाशित की बात आई है।

अत: उक्त संस्थान में सुधार हेतु सरकार से स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- लाल बाबू प्रसाद
स.वि.प.

ज्ञापांक :वि0प0अ0प्र0-130/2018- 648 (1) / वि.प. पटना, दिनांक- 19.03.2018

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्य मंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/संसदीय कार्य विभाग,बिहार/शिक्षा विभाग,बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 28/3/2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 19.03.18
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

दिनांक-9/3/2018 के समाचार पत्र के अनुसार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति प्रशासन की कुव्यवस्था से राज्य के विद्यालयों के डी.एल.एड. (रेगुलर मोड) का प्रशिक्षण पूरा कर चुके शिक्षकों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। सत्र 2014-16 एवं 2015-17 में डी.एल.एड. का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके लगभग 20 हजार शिक्षकों की परीक्षा नहीं लिए जाने से इनके समक्ष गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा शिक्षकों का प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद भी उनकी परीक्षा नहीं लिया जा रहा है। प्रशिक्षित शिक्षक, ट्रेनिंग कालेज से विरमित हो चुके हैं। फिर भी उनकी परीक्षा लेने में बोर्ड प्रशासन आना कानी कर रहा है। फलत: विवश होकर प्रशिक्षित शिक्षक विगत कई दिनों से बोर्ड कार्यालय के समक्ष धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बोर्ड प्रशासन आश्वासन देने के बजाय उन पर कार्रवाई के लिए तुला हुआ है।

अत: मैं सरकार से उक्त स्थिति में प्रशिक्षित शिक्षकों की परीक्षा तिथि घोषित करने और इस दिशा में सकारात्मक कार्रवाई करने हेतु सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- प्रो. नवल किशोर यादव
स0वि0प0

ज्ञापांक :वि0प0अ0प्र0-131/2018- 649 (1) / वि.प. पटना, दिनांक- 19.03.2018

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्य मंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ शिक्षा विभाग,बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 28/3/2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह

(नवल किशोर सिंह) 19.03.18
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

माननीय सभापति महोदय,

गया जिलान्तर्गत इमामगंज प्रखंड के नौडीहा पंचायत एवं छकरबंधा पंचायत को जोड़ने वाली रोहवे ग्राम स्थित लब्जी नदी पर बना पुल गुणवत्ता पूर्ण सामग्री इस्तेमाल नहीं करने के कारण टुट गया है। पुल टुटने से लगभग 20,000 (बीस हजार) की आबादी का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से कट गया है। झारखंड राज्य से जोड़ने वाला ये महत्वपूर्ण पुल है। पुल टूटने से झारखंड राज्य से संपर्क समाप्त हो गया है। इमामगंज से रांची की दूरी 50 कि0मी0 अतिरिक्त घूम कर जाना पड़ रहा है।

अत: इस महत्वपूर्ण पुल के निर्माण के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह0/- डा0 उपेन्द्र प्रसाद,
स.वि.प.

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-159/2018- 696 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक- 23.03.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्य गण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य। माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ पथ निर्माण विभाग,बिहार/ ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार / प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्याक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 28.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्याऐन आकृष्टप करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 23.03.18
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद् ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

मोतिहारी झील तक पानी का प्रवाह अवरूद्ध हो जाने के कारण शहर की आबोहवा पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। झील तक पानी पहुंचाने के लिए तिरहुत नहर प्रमण्डल, मोतिहारी द्वारा रतनपुर उप लघु नहर का निर्माण कराया गया था। परंतु इस नहर को अतिक्रमणकारियों द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया है और इसी कारण पानी झील तक पहुंच नहीं पा रहा है। कार्यपालक अभियंता ,तिरहुत नहर प्रमंडल, मोतिहारी ने अपने पत्रांक- 264 दिनांक- 23/5/2015 द्वारा नहर को अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मोतिहारी को अतिक्रमणकारियों की विस्तृत सूची के साथ ग्रामीण नक्शा की छाया प्रति सौंपी है/ जब तक अतिक्रमणकारियों से नहर को मुक्त नहीं किया जाएगा, पुनस्थापन का कार्य नहीं हो सकता है। सुशासन, कानून-व्यवस्था, जल प्रबंधन, पर्यावरण एवं भूगर्भ जल के संबंध में लम्बी चौड़ी बातें करने के बदले जमीनी स्तर पर यदि कार्य हो तो इससे मोतिहारी शहर की आबोहवा पर आए संकट को दूर किया जा सकता है। जिला प्रशासन इस ओर बिल्कुल निष्क्रिय है।

अत: रतनपुर उप लघु नहर एवं मोतिहारी झील को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराने एवं झील तक पानी का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित कराने के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- दिलीप कुमार चौधरी
स.बि.प.

ज्ञापांक :बि0प0अ0ध्र0-144/2018- 676 (1) / वि.प. पटना, दिनांक- 20.03.2018

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्य मंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ जल संसाधन विभाग बिहार/ लघु जल संसाधन विभाग,बिहार/ गृह विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 28/3/2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह) 20.03.18
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

राज्य के 531 संस्कृत विद्यालयों एवं 1128 मदरसों के स्वीकृत शिक्षकों/ शिक्षकेत्तर कर्मियों के पदों पर नियमित रूप से नियुक्त ऐसे शिक्षकों/ शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए पुनरीक्षित वेतनमान् में वेतन भुगतान देय होगा, जिसके लिए सरकार द्वारा पूर्व से वेतन भुगतान के लिए अनुदान की स्वीकृति दी गई है। दिनांक-15.02.2011 के बाद विधिवत नियुक्त कर्मियों को सरकार द्वारा नियत वेतन के आधार पर अनुदान दिया जा सकेगा, इसके लिए संस्था द्वारा अलग से प्रस्ताव देकर सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। इन विद्यालयों में सेवानिवृति के पश्चात् रिक्त हुए पद सरकार द्वारा अनुदान के निमित नियत वेतन के पद में दिनांक-15.02.2011 से स्वत: परिवर्तित (Convert) माने जाएंगे और उक्त तिथि से अथवा बाद की सारी रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्त शिक्षकों/ शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए राज्य सरकार द्वारा नियत वेतन की गणना के आधार पर अनुदान देय होगा। बिहार गजट (असाधारण), 4 सितंबर, 2013 में प्रकाशित सरकार के आदेश के बाद भी सिद्धेश्वरी संस्कृत उच्च विद्यालय, पचरूखिया भोजपुर के शिक्षकों/ शिक्षकेत्तर कर्मियों को अब तक नियत वेतन के आधार पर वेतन भुगतान की व्यवस्था नहीं हुई है।

अत: सिद्धेश्वरी संस्कृत उच्च विद्यालय, पचरूखिया भोजपुर के शिक्षकों/ शिक्षकेत्तर कर्मियों को नियत वेतन के आधार पर वेतन भुगतान के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

1.ह./- अवधेश नारायण सिंह,स.वि.प.

2.ह./-नवल किशोर यादव,स.वि.प. एवं

3.ह./-सूरजनंदन प्रसाद,स.वि.प.

ज्ञापांक- वि.प.अ.प्र-178/2018 – 720 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक- 23.03.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्य मंत्री सहित अन्यग माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग,बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य, दिनांक-28.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्टक करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह

(नवल किशोर सिंह) 23.03.18

अवर सचिव

बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

राज्य के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकों को 7वां पुनरीक्षित वेतनमान 1.1.2016 से लागू करने की अधिसूचना केन्द्रीय मानव संसाधन विकास विभाग,भारत सरकार के नं0-1-7/2015-U-11(1) दिनांक-2.11.2017 द्वारा किया जा चुका है। तत्पश्चात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत सभी विश्वविद्यालय एवं कॉलेज शिक्षकों को 7वाँ वेतनमान लागू करने के निर्देश F.No.23-4/2017(PS) दिनांक-31/1/2018 द्वारा दिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) की अनुशंसाओं के अनुपालन में राज्य सरकार पहले से वचनबद्ध है।

राज्य सरकार द्वारा जिस प्रकार राज्य के सभी सेवा संवर्ग के कर्मियों को सामान्य प्रक्रिया अंतर्गत 7वां वेतनमान लागू/ स्वीकृत किया गया उसी तरह राज्य के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकों को भी यू.जी.सी. द्वारा अनुशंसित 7वां वेतनमान लागू करें।

अत: इस संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

1. ह0/- प्रो. संजय कुमार सिंह , स0वि0प0
2. ह0/- दिलीप कुमार चौधरी, स0वि0प0
3. ह0/- संजीव कुमार सिंह, स0वि0प0
4. ह0/- देवेश चन्द्र ठाकुर, स0वि0प0
5. ह0/- सूरजनंदन प्रसाद, स0वि0प0
6. ह0/- संजीव श्याम सिंह, स0वि0प0
7. ह0/- मदन मोहन झा, स0वि0प0
8. ह0/- केदार नाथ पाण्डेय, स0वि0प0 एवं
9. ह0/- नीरज कुमार, स0वि0प0

ज्ञापांक :वि0प0अ0प्र0-129/2018- 645 (1) / वि.प. पटना, दिनांक- 19.03.2018

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्य-मंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ शिक्षा विभाग,बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्य क कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य। दिनांक- 28/3/2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।
3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह

(नवल किशोर सिंह) 19-03-18
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्